न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल0 आर0 संख्या 50/2021 जिला भीलवाड़ा

1. फूली बेवा शंकरदास,
2. मगनी देवी पत्नि स्व0 मोडूदास,
3. दुर्गादास पुत्र स्व0 मोडूदास,
4. प्रकाश पुत्र स्व0 मोडूदास
5. यशपाल उर्फ ईश्वरदास पुत्र स्व0 मोडूदास

समस्त जाति कामड निवासी खेड़ा खुट माताजी के पास जवाहर नगर भीलवाड़ा।

....अपीलांटस

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा।

....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, भीलवाड़ा दिनांक 22.03.2006 जो अपील संख्या 03/2006 बउनवानी ''मोडूदास बनाम सरकार'' में पारित किया गया।

उपस्थित अभिभाषकः–श्री समीर अहमद खान(अपीलांट अभि0)
श्री आकाश पारीक(राजकीय अभि0)

निर्णय दिनांकः–25.05.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट मोडूदास के पिता शंकरदास व शंकरदास के भाई भैरूदास के नाम सामलाती खाता था जो भैरूदास,शंकरदास पिता गुलाब दास वैरागी के नाम से दर्ज रिकोर्ड था। खाते का विभाजन होने पर खसरा नम्बर 4184,4185,4189,4190/2,4998/2,4200/2 भूमियां शंकरदास पिता गुलाबदास वैरागी के नाम दर्ज थी। शेष आराजी भैरूदास पुत्र गुलाबदास वैरागी के नाम दर्ज हुई। भैरूदास द्वारा अपनी भूमियां विक्रय कर दिये जाने के कारण मनभरी देवी, ओमप्रकाश, केदारमल,राजेश कुमार महाजन के नाम वर्तमान में राजस्व रिकोर्ड में दर्ज चली आई। नामातंरण आदेश दिनांक 28.05.1993 के द्वारा तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा शंकरदास पुत्र गुलाबदास वैरागी की बजाये शंकरदास पुत्र गुलाबदास कामड़ के नाम नामातंरण दर्ज किया गया। जबकि अपीलांट और उसके पूर्वज वैरागी जाति के है। अपीलांट को इस बाबत जानकारी दिनांक 13.07.2021 को हुई है। दिनांक 16.07.2021 को इकबाल हेतु आवेदन लगाया। उक्त अपील दिनांक 22.03.2006 के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:26 IST
Reason: SelfAttested

जा रही है। जिसके द्वारा नामातंरण संख्या 3311 को लगाया था। दिनांक 22.03.2006 की पालना में नामातंरण संख्या 1719 दिनांक 28.05.1993 में संशोधन कर दिया गया और अपीलांट को स्वर्ण जाति का दर्ज कर लिया गया और उसके पश्चात एक नोमाइसी विक्रय पत्र दिनांक 20.04.2006 को तस्दीक करवा दिया गया और भूमि को स्वर्ण व्यक्ति के नाम करवा दिया गया। जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मोडूदास पुत्र शंकरदास व फूली बेवा शंकरदास के स्वयं के द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जायें।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिनमें उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.03.2006 की जानकारी ली गई, जानकारी के तुरंत बाद दिनांक 19.07.2021 को जानकारी प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। जिसमें उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 22.03.2006 की पालना को स्थगित रखे जाने बाबत एवं रिकोर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत निवेदन किया है। साथ ही अपीलांट द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र नियम 32 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल भाग 2 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नामांतरण संख्या 1719 दिनांक 28.05.1993 की नकल शीघ्र प्राप्त कर प्रस्तुत कर दी जायेंगी। बाबत निवेदन किया है। तीनों प्रार्थना पत्रों के साथ उनके द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जायें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई, वकील अपीलांट के अनुसार कामड़ जाति अनुसूचित जाति की सूची में संलग्न है। नामातंरण की कार्यवाही करते हुए वैरागी लिखते हुए कामड़ लिख दिया। हम मूल रूप से कामड़ है। अधीनस्थ न्यायालय एस0डी0ओ भीलवाड़ा में हमारी ओर से किसी अन्य ने अपील प्रस्तुत की थी। यह कहते हुए की हमारा नाम कामड़ गलत आया है। वैरागी हम है। एस0डी0ओ ने दावा स्वीकार करते हुए हमारी जाति वैरागी दर्ज करने का आदेश दिया। तहसीलदार भीलवाड़ा के द्वारा स्वीकृत नामातंरण संख्या 1719 दिनांक 28.05.1993 के विरूद्ध मोडूदास द्वारा अपील की गई। उक्त अपील ए0डी0एम या जिला कलक्टर न्यायालय में दर्ज होनी चाहिए थी। मगर एस0डी0ओ में यहां दर्ज करवा दी गई जो गलत है। उक्त अपील दिनांक 16.02.2006 को की गई थी। दिनांक 22.03.2006 को निर्णय हुआ। राजकीय अभि0 ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में मोडूदास और फूली उपस्थित हुए थे। फर्जकारी के विरूद्ध अपीलांट को अपना प्रकरण आईपीसी में दर्ज करवाना चाहिए था। शपथ के साथ इन्हें आना चाहिए था। अपील मीमौ पर अभी भी हस्ताक्षर नहीं है। मोडूदास की मृत्यु हो चुकी है तथा वर्तमान अपीलांट मोडूदास के वारिस है। अपील खारिज की जायें।

नामातंरण संख्या 1719 ग्राम्य [illegible] किया गया, खाता नम्बर 1261 खसरा नम्बर 7 क्षैत्रफल 6 बीघा 7 [illegible] दर्ज है। कॉलम नम्बर 7 में खातेदार के रूप में शंकरदास पिता गुलाबदास [illegible]रागी साकिम जवाहर नगर रहीन बदस्तूर दर्ज किया हुआ है। कॉलम नम्बर 9 में बदलाव के बाद शंकरलाल पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:26 IST
Reason: SelfAttested

गुलाबदास कामड़ साकिम जवाहरनगर खातेदार रहीन बदस्तूर उक्त नामातंरण को तहसीलदार भलवाड़ा द्वारा दिनांक 28.05.1993 को प्रमाणित किया गया अर्थात शंकरदास की जाति वैरागी से बदलकर कामड़ दर्ज कर दी गई।

अपीलाधीन आदेश द्वार एस0डी0ओ भीलवाड़ा के दिनांक 22.03.2006 का अवलोकन किया गया। उक्त आदेश के अंतिम पैरा में यह लिखा हुआ है ''बहस अधिवक्ता की सुनी गई, बहस पर मनन किया गया।'' अतः अपील अपीलांट की स्वीकार की जाकर नामातंरण संख्या 1719 दिनांक 28.05.1993 में संकटदास, गुलाबदास वैरागी की बजाय कमाड़ लिखा गया वह गलत है। अतः नामातंरण संख्या 1719 में शंकरदास, गुलाबदास वैरागी की जगह संशोधन किया जाता है।

नामातंरण संख्या 3311 खाता नम्बर 1030 खसरा संख्या 7 रकबा 6.07 हे0 बीघा का अवलोकन किया गया। कॉलम नम्बर 7 में मोडूदास पिता शंकरदास मु0 फूली बेवा शंकरदास कामड़ साकिम जवाहरनगर भीलवाड़ा खातेदार दर्ज किये गये है। कॉलम नम्बर 9 मे मोडूदास पिता शंकरदास मु0 फूली बेवा शंकरदास वैरागी साकिम जवाहरनगर भीलवाड़ा खातेदार अंकित किया है। कॉलम नम्बर 14 में एस0डी0ओ भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 3/2006 दिनांक 22.03.2006 तहसील आदेश प्रमाण भू–अभिलेख प्रकरण 03/2006, 1955 दिनांक 07.04.2006 की पालना है, खोले जाने बाबत अंकन किया है। कॉलम नम्बर 16 में नामातंरण दर्ज कर उचित आदेश हेतु पटवारी द्वारा अंकन किया हुआ है। दिनांक 08.04.2006 को गिरदावर द्वारा जांच की जाकर आदेश अनुसार इंद्राज सही बताया गया है। दिनांक 17.04.2006 को तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा उक्त नामातंरण खोला गया है।

सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उसके अनुसार उनको उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 22.03.2006 की जानकारी नहीं होने से अब जानकारी हो जाने से दिनांक 19.07.2021 को नकल प्राप्त कर दिनांक 11.08.2021 को अपील कार्यालय हाजा प्रस्तुत कर दी गई। अतः जानकारी अवधि से अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर दी गई है। ऐसी स्थिति में धारा 5 मियाद अवधि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। नियम 32 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल भाग 2 का अवलोकन किया गया । नामातंरण संख्या 1719 दिनांक 28.05. 1993 की नकल के लिए प्रार्थी द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। मुख्य विवाद यह है कि अपीलांट किस जाति से संबंधित है वैरागी है अथवा कामड़ है। वैरागी जाति ओबीसी वर्ग में है जबकि कामड़ जाति अनुसूचित जाति वर्ग में है। नामातंरण संख्या 1719 दिनांक 28.05.1993 से अपीलांट की जाति वैरागी से कामड़ कर ली गई है तथा नामातंरण संख्या 3311 से पुनः वैरागी कर दी गई है। राजस्व रिकोर्ड में जाति बदली नहीं जा सकती है। पूर्व दर्ज [illegible] के आधार पर राजस्व रिकोर्ड में एंट्री होती रहती है। नामातंरण संख्या 1719 में [illegible] आधार पर वैरागी जाति की जगह कामड़ दर्ज कर दी गई यह अपीलांट द्वारा स्पष्ट नहीं कराया गया है। वर्तमान प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश में अन्य व्यक्तियों के उपखण्ड न्यायालय भीलवाड़ा में उपस्थित होकर अपीलाधीन आदेश प्राप्त करने की बात हुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:26 IST
Reason: SelfAttested

है। ऐसी अवस्था में न्यायालय राजकीय अभि0 की बात से सहमत है कि अपीलांट को आईपीसी धाराओं में सक्षम न्यायालय में जाकर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए था। जो उनके द्वारा नहीं किया गया। राजकीय अभि0 के अनुसार अपील मीमौ पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है जो कि एक तकनीकी कमी है।

उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामातंरण संख्या 1719 में दर्ज प्रविष्टि के आधार पर की शंकरदास पिता गुलाबदास की जाति वैरागी से कामड़ दर्ज कर दी गई थी। उसे सुधारते हुए पुनः अपने आदेश से वैरागी दर्ज किया गया है। क्योकि राजस्व रिकोर्ड में पूर्व एंट्री को दौहराया जाता है। उपखण्ड अधिकारी के आदेश में कोई गलती नहीं दृष्टिगोचर होती है। अतः सारहीन होने से खारिज योग्य है। अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 22.03.2006(प्रकरण संख्या 03/2006, मोडूदास बनाम सरकार) खारिज की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 25.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:40:26 IST
Reason: SelfAttested